प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

विविध. अपील क्र. 568 वर्ष 2006

अपीलकर्तागण/ दावेदार

1. श्रीमती भगैया बाई, विधवा बिरझुराम गोंड,उम्र लगभग 43 वर्ष
2. चंद्रहास मंडावी पिता स्वर्गीय बिरझुराम, उम्र लगभग 23 वर्ष
3. कुंजन कुमार पिता बिरझुराम, उम्र लगभग 21 वर्ष
4. हरीश कुमार पिता बिरझुराम, उम्र लगभग 8 वर्ष, नाबालिग, द्वारा अपनी माँ भगैया बाई

सभी निवासी ग्राम सेहराडाबरी, तहसील व जिला - धमतरी (छत्तीसगढ़) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. जयराम सिंह पिता सुंदर सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी - रेलवे क्रॉसिंग के पास महासमुंद, तहसील एवं जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)।
2. मेसर्स कांकेर रोडवेज सिविल लाइंस, रायपुर।
3. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जीई रोड, पावर हाउस, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत विविध अपील।

उपस्थित : श्री विमलेश बाजपेयी, अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई, यद्यपि तामील हो चुकी है।

श्री दशरथ गुप्ता, प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

(1 जुलाई, 2009)

न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति राजीव गुप्ता द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

यह अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी, जिला रायपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण संख्या 12/2005 में पारित दिनांक 07.09.2006 के निर्णय के अनुसार दिए गए प्रतिकर में वृद्धि के लिए दावेदारों की अपील है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मृतक बिरझुराम गोंड की विधवा और बच्चों, दावेदारों ने 25 लाख रुपये के प्रतिकर का दावा किया। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका दायर करके 13,63,000/- रुपये का प्रतिकर मांगा गया था। यह प्रतिकर 05.11.2004 को हुई एक मोटर दुर्घटना में बिरझुराम गोंड की मृत्यु के लिए दिया गया था। यह दुर्घटना कथित वाहन बस, जिसका पंजीकरण संख्या PB-12D/9808 है, से टकरा गई थी। इस दुर्घटना में बिरझुराम गोंड को कई गंभीर चोटें आईं और 19.11.2004 को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दावेदारों ने आगे तर्क दिया कि मृतक बिरझुराम गोंड, जिनकी आयु लगभग 50 वर्ष थी, रिक्शा चलाकर प्रतिदिन 150-200/- रुपये कमाते थे।

3. कथित वाहन बस के मालिक, चालक और बीमाकर्ता ने दावे का विरोध किया और दावेदारों को प्रतिकर देने के अपने दायित्व से इनकार कर दिया। बीमाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि कथित वाहन बस के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और बस को पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था।

4. दावेदारों ने अपने दावे के समर्थन में आ.सा. -1 श्रीमती भगैया बाई और आ. सा. -2 विजय कुमार से पूछताछ की, जबकि मालिक, चालक और दोषी वाहन बस के बीमाकर्ता ने खंडन में किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की।

5. न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जाँच के बाद यह माना कि मृतक बिरझूराम गोंड की मृत्यु दिनांक 05.11.2004 को हुई मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण 19.11.2004 को हुई थी; दुर्घटना दोषी वाहन बस के चालक की लापरवाही और उतावलेपन के कारण हुई थी; चूँकि दुर्घटना की तिथि पर दोषी वाहन बस का न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमा किया गया था और बीमा कंपनी पॉलिसी की किसी भी शर्त का उल्लंघन साबित नहीं कर सकी, इसलिए बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. न्यायाधिकरण ने मृतक की आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 15,000/- रुपये में से एक-तिहाई राशि घटाकर, दावेदारों की आश्रितता 10,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकी गई। 10,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 13 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकर की राशि 1,30,000/- रुपये निर्धारित की गई। अन्य मदों में 35,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए, न्यायाधिकरण ने मृतक बिरझूराम गोंड की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए दावेदारों को प्रतिकर के रूप में कुल 1,65,000/- रुपये प्रदान किए। न्यायाधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक, 1,65,000/- रुपये की उपरोक्त प्रतिकर की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विमलेश बाजपेयी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने मृतक की आय के बारे में दावेदारों के साक्ष्य को स्वीकार न करके, उसकी आय केवल 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित करके, तथा केवल 1,65,000/- रुपये का कम प्रतिकर देकर गलती की है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 3-द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता श्री दशरथ गुप्ता ने निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया

1,65,000/- रुपये का प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित और न्यायसंगत है, क्योंकि मृतक लगभग 50 वर्ष का एक रिक्शा चालक था।

9. न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि मृतक बिरझूराम गोंड की मृत्यु 05-11-2004 को हुई मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण 19.11.2004 को हुई थी; दुर्घटना दोषी वाहन बस के चालक की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई; दोषी वाहन बस का बीमाकर्ता दावेदारों को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी था, और अब यह अंतिम निर्णय पर पहुँच गया है क्योंकि प्रतिवादियों ने निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है। इसके अलावा, उपरोक्त तथ्यों को बिना किसी संदेह के स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसलिए, हम न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह सच है कि दावेदारों ने तर्क दिया कि मृतक बिरझूराम गोंड रिक्शा चलाकर प्रतिदिन 150-200 रुपये कमाते थे, लेकिन इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य निर्णायक प्रकृति के नहीं थे।

अतः मृतक की आय के बारे में दावेदारों के साक्ष्य को खारिज करने के न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं हैं।

11. फिर भी, न्यायाधिकरण द्वारा मृतक की 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित आय निश्चित रूप से कम है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

12. वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में 15,000/- रुपये की काल्पनिक आय निर्धारित की गई थी। वर्तमान मामले में दुर्घटना, जिसमें मृतक बिरझुराम गोंड की मृत्यु हुई, वर्ष 2004 में हुई थी। यदि वर्ष 1994 और वर्तमान मामले में दुर्घटना के वर्ष 2004 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवन-यापन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में निर्धारित 15,000/- रुपये की काल्पनिक आय वर्ष 2004 में निश्चित रूप से 36,000/- रुपये हो जाएगी। इसलिए, हम मृतक की आय 36,000/- रुपये प्रति वर्ष मानते हुए प्रतिकर की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

13. मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 36,000/- रुपये में से एक-तिहाई राशि घटाकर, दावेदारों की आश्रितता 24,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकी गई है।

14. यह देखते हुए कि मृतक बिरझूराम गोंड की आयु लगभग 50 वर्ष थी और दावा याचिका में उनकी विधवा श्रीमती भगैया बाई की आयु 43 वर्ष दर्शाई गई थी, हमारा मत है कि 2007 के एसीजे 825 में दर्ज न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कल्पना एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, वर्तमान मामले में 10 का गुणक उपयुक्त होगा। जिसमें उक्त मामले में लगभग 33 वर्ष की आयु के मृतक के लिए 13 का गुणक उपयुक्त पाया गया।

15. 24,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 10 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकर 2,40,000/- रुपये होता है। दावेदार अंतिम संस्कार व्यय के लिए 5,000/- रुपये; संपत्ति की हानि के लिए 5,000/- रुपये; और विधवा को संपत्ति की हानि के लिए 5,000/- रुपये प्राप्त करने के भी हकदार हैं। इस प्रकार, दावेदार मोटर दुर्घटना में मृतक बिरझूराम गोंड की मृत्यु के लिए कुल 2,55,000/- रुपये की प्रतिकर राशि प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दावेदारों द्वारा प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज प्राप्त करने की अवधि के बारे में पक्षकारों के बीच किसी भी संभावित विवाद से बचने के लिए बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर ब्याज की राशि का निर्धारण इसी अपील में किया जा सकता है।

17. वर्तमान मामले में दुर्घटना, जिसमें मृतक बिरझूराम गोंड की मृत्यु हुई, वर्ष 2004 में हुई थी; दावेदारों द्वारा दावा याचिका वर्ष 2005 में दायर की गई थी; न्यायाधिकरण द्वारा आक्षेपित निर्णय वर्ष 2006 में पारित किया गया था; और वर्तमान अपील का अंतिम निर्णय वर्ष 2009 में किया जा रहा है। दावा याचिका और वर्तमान अपील के निपटान में हुई देरी सहित सभी प्रासंगिक कारकों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले में देरी के लिए केवल बीमा कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, हम 90,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर ब्याज की राशि को 10,000/- रुपये निर्धारित करते हैं।

18. उपर्युक्त कारणों से, अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा प्रतिकर बढ़ाने के लिए दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत 1,65,000/- रुपये के मुआवज़े को बढ़ाकर 2,55,000/- रुपये किया जाता है, साथ ही 90,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर 10,000/- रुपये की अतिरिक्त मात्राबद्ध ब्याज राशि भी जोड़ी जाती है।

19. प्रत्यर्थी संख्या 3, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संबंधित दावा न्यायाधिकरण के समक्ष 1,00,000/- रुपये की कुल राशि (90,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर राशि + 90,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर 10,000/- रुपये की मात्राबद्ध ब्याज राशि) जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।

20. वाद व्यय के सबंध में कोई आदेश नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

राजीव गुप्ता मुख्य

न्यायाधिपति

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Durga Mehar

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur